

राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56569]

बृहस्पतिवार, 20 अप्रैल, 2017

सं.56569

समिति अनुभाग (अधीनस्थ विधान)

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान
राज्य सभा के पटल पर रखे गए कानूनी आदेश
(242वां सत्र)

विधान की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित निम्नलिखित कानूनी नियम तथा आदेश 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए सप्ताह की अवधि के दौरान राज्य सभा के पटल पर रखे गए। ये आदेश सभा पटल पर एक या दो या उससे अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में पूरी होने वाली 30 दिनों की अवधि तक रहेंगे। सदस्य उस सत्र, जिसमें सभा पटल पर रखने की 30 दिन की अवधि पूरी हो गई हो, के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व संशोधन/निरसन हेतु प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं।

क्र. सं.	नियम/आदेश की संख्या तथा तारीख	संक्षिप्त विषय	सभा पटल पर रखे जाने की तारीख	कानून का उपबंध, जिसके अधीन सभा पटल पर रखा गया
1	2	3	4	5

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (पशु पालन,
डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)**

- | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|------------|--|
| 1. | अधिसूचना
सा.का.नि.
दिनांक 14 मार्च, 2017. | सं.
242(अ),
2017. | भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य पशु चिकित्सा संगमों के अध्यक्षों में से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने की प्रक्रिया) नियम, 2017. | 31.03.2017 | भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 66(3). |
|----|---|-------------------------|--|------------|--|

नागर विमानन मंत्रालय

- | | | | | | |
|----|---|------------------------|---|------------|---------------------------------------|
| 2. | अधिसूचना
सा.का.नि.
दिनांक 3 मार्च, 2016 | सं.
275(अ),
2016 | वायुयान (खतरनाक माल का वहन) संशोधन नियम, 2016 व्याख्यात्मक टिप्पण तथा विलंब संबंधी विवरण। | 28.03.2017 | वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क(3). |
|----|---|------------------------|---|------------|---------------------------------------|

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

3. का.आ. 31(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2017. तम्बाकू बोर्ड को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए कर्णाटक राज्य में अपने नीलामी मंचों पर कर्णाटक राज्य में पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उगाई गई अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उगाई गई फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करने के लिए तम्बाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों और डीलरों को अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करना। 29.03.2017 तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32(3).
4. का.आ. 32(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2017. कर्णाटक राज्य में पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार और अपंजीकृत उत्पादकों की फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार की बिक्री तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमति प्रदान करना -तदेव- -तदेव-

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

5. सा.का.नि. 469 (अ), खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2015 तथा 31.03.2017 खाद्य निगम
दिनांक 9 जून, 2015. विलंब संबंधी विवरण। अधिनियम, 1964 की
धारा 45(5).
6. सा.का.नि. 202 (अ), खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2017. -तदेव- -तदेव-
दिनांक 6 मार्च, 2017.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

7. आईबीबीआई/2016- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 28.03.2017 दिवाला और शोधन
17/जीएन/आरआईजी00 (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016. अक्षमता संहिता, 2016
5, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016. की धारा 241.
8. आईबीबीआई/2016- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड -तदेव- -तदेव-
17/जीएन/आरआईजी00 (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की
6, दिनांक 31 जनवरी, नियुक्ति) विनियमन, 2017.
2017.

- | | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| 9. | आईबीबीआई/2016-
17/जीएन/आरआईजी00
7, दिनांक 31 जनवरी,
2017. | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
(शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया)
विनियमन, 2017. | 28.03.2017 | दिवाला और शोधन
अक्षमता संहिता, 2016
की धारा 241. |
| 10. | आईबीबीआई/2016-
17/जीएन/आरआईजी00
8, दिनांक 31 जनवरी,
2017. | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
(सलाहकार समिति) विनियमन, 2017. | -तदेव- | -तदेव- |
| 11. | अधिसूचना सं.
सा.का.नि. 178(अ),
दिनांक 28 फरवरी, 2017. | विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण
(लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी)
नियम, 2017. | 28.03.2017 | कंपनी अधिनियम,
2013 की धारा
469(4). |

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- | | | | | |
|-----|---|---|------------|---|
| 12. | सा.का.नि. 111 (अ),
दिनांक 8 फरवरी, 2017. | सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण) नियमावली, 2017. | 31.03.2017 | सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(3). |
| 13. | सा.का.नि.711 (अ),
दिनांक 21 जुलाई, 2016. | सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016. | -तदेव- | -तदेव- |

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

- | | | | | |
|-----|---|--|------------|--|
| 14. | सा.का.नि. 1042(अ),
दिनांक 4 नवम्बर, 2016. | विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सोलहवां संशोधन) विनियमावली, 2016. | 28.03.2017 | विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48. |
| 15. | सा.का.नि. 1118(अ),
दिनांक 7 दिसम्बर, 2016. | विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (अठारहवां संशोधन) विनियमावली, 2016. | -तदेव- | -तदेव- |

16.	सा.का.नि. दिनांक 2 जनवरी, 2017.	01(अ), विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2016.	28.03.2017	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48.
17.	सा.का.नि. दिनांक 10 जनवरी, 2017.	16(अ), विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पंद्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2016.	-तदेव-	-तदेव-
18.	सा.का.नि. दिनांक 10 जनवरी, 2017.	17(अ), विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
19.	सा.का.नि. दिनांक 3 मार्च, 2017.	188(अ), विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
20.	सा.का.नि. दिनांक 25 नवम्बर, 2016	1089(अ), अधिसूचना सं. सा.का.नि. 166(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2016.	-तदेव-	शुद्धिपत्र

21.	सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2016- 17/018, दिनांक 12 जनवरी, 2017.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2017.	28.03.2017	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31.
-----	--	--	------------	---

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

22.	सा.का.नि. 29(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2017.	भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों) संशोधन नियम, 2016 तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।	28.03.2017	जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48(3).
23.	सा.का.नि. 30(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2017	भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 व्याख्यात्मक ज्ञापन।	-तदेव-	-तदेव-
24.	सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 9 मार्च, 2017	अधिसूचना सं. सा.का.नि. 29(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2017.	-तदेव-	शुद्धिपत्र
25.	सा.का.नि. 208(अ), दिनांक 9 मार्च, 2017.	अधिसूचना सं. सा.का.नि. 30(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2017.	-तदेव-	शुद्धिपत्र

- | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------------|--|
| 26. | का.आ. 253(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2017. | मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 1641(अ), दिनांक 2 मई, 2016 का संशोधन करना। | 28.03.2017 | बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36(3). |
| 27. | का.आ. 254(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2017. | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के हैदराबाद और विशाखापट्टनम स्थित कतिपय ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकारिता के क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना। | -तदेव- | -तदेव- |
| 28. | का.आ. 298(अ), दिनांक 30 जनवरी, 2017. | कर्णाटक राज्य के बेंगलुरु स्थित कतिपय ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकारिता के क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना। | -तदेव- | -तदेव- |
| 29. | का.आ. 379(अ), दिनांक 9 फरवरी, 2017. | चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के चंडीगढ़ स्थित कतिपय ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकारिता के क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------------|--|
| 30. | का.आ. 454(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2017. | उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के इलाहाबाद, लखनऊ और देहरादून स्थित कतिपय ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकारिता के क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना | 28.03.2017 | बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36(3). |
| 31. | का.आ. 696(अ), दिनांक 3 मार्च, 2017. | मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 379(अ), दिनांक 9 फरवरी, 2017 का संशोधन करना। | -तदेव- | -तदेव- |
| 32. | का.आ. 831(अ), दिनांक 15 मार्च, 2017. | पश्चिमी बंगाल राज्य के कोलकाता और सिलीगुड़ी स्थित कतिपय ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकारिता के क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना। | -तदेव- | -तदेव- |

33. फा. सं. भारतीय बीमा विनियामक और विकास 28.03.2017 बीमा अधिनियम, 1938
आईआरडीएआई/विनिय प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का की धारा 114 की उप
म/1/138/2017, दिनांक रजिस्ट्रीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, धारा (3) तथा बीमा
27 जनवरी, 2017. 2016. अधिनियमक और
विकास प्राधिकरण
अधिनियम, 1999 की
धारा 27.

(राजस्व विभाग)

34. सा.का.नि. 1198(अ), मूल अधिसूचनाओं में कतिपय प्रविष्टियों को 28.03.2017 सीमा शुल्क
दिनांक 31 दिसम्बर, प्रतिस्थापित/विलोपित/अंतर्विष्ट करने के लिए अधिनियम, 1962 की
2016. कतिपय अधिसूचनाओं का संशोधन करना। धारा 159.
35. का.आ. 309(अ), दिनांक मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को -तदेव- -तदेव-
31 जनवरी, 2017. प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 का
संशोधन करना।

- | | | | | |
|-----|---|---|------------|---------------------------------------|
| 36. | सं. 09/2017-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 फरवरी, 2017. | आयातित और निर्यात माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर में संशोधन तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन। | 28.03.2017 | सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159. |
| 37. | का.आ. 451(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2017. | मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 का संशोधन तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन। | -तदेव- | -तदेव- |
| 38. | सं. 12/2017 सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 फरवरी, 2017. | आयातित और निर्यात माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर में संशोधन तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|--|--|------------|---------------------------------------|
| 39. | का.आ. 665(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2017. | मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 का संशोधन तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन। | 28.03.2017 | सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159. |
| 40. | सं. 14 /2017-सीमा शुल्क (गै.टै), दिनांक 2 मार्च, 2017. | आयातित और निर्यात माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर में संशोधन तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन। | -तदेव- | -तदेव- |
| 41. | सा.का.नि. 192(अ), दिनांक 3 मार्च, 2017. | कूरियर आयात एवं निर्यात (क्लियरेंस) संशोधन विनियम, 2017 तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन। | -तदेव- | -तदेव- |
| 42. | सं. 10/2017-सीमा-शुल्क, दिनांक 28 मार्च, 2017. | गेहूं और तूर पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत आधारिक सीमा-शुल्क अधिरोपित करने के लिए अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 का और संशोधन तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन। | -तदेव- | -तदेव- |

43. सा.का.नि. 1200(अ), मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को 28.03.2017 केंद्रीय उत्पाद शुल्क
दिनांक 31 दिसम्बर, विलोपित/प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम, 1944 की
2016. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 882(अ), दिनांक धारा 38 की धारा (2).
24 दिसम्बर, 2008 का संशोधन तथा
व्याख्यात्मक ज्ञापन।
44. सा.का.नि. 1201(अ), मूल अधिसूचनाओं में कतिपय प्रविष्टियों को -तदेव- -तदेव-
दिनांक 31 दिसम्बर, अंतर्विष्ट/प्रतिस्थापित/विलोपित करने के लिए उसमें यथाविनिर्दिष्ट कतिपय अधिसूचनाओं
2016. का संशोधन तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
45. सा.का.नि. 1195(अ), मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को 28.03.2017 सीमा शुल्क टैरिफ
दिनांक 31 दिसम्बर, विलोपित/प्रतिस्थापित/अंतर्विष्ट करने के लिए अधिनियम, 1975 की
2016. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 678(अ), दिनांक धारा 9क की धारा (7).
24 सितम्बर, 2008 का संशोधन तथा
व्याख्यात्मक ज्ञापन।

46. सा.का.नि. 1197(अ) मूल अधिसूचनाओं में कतिपय प्रविष्टियों को 28.03.2017 सीमा शुल्क टैरिफ
दिनांक 31 दिसम्बर, प्रतिस्थापित करने के लिए उनमें यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम, 1975 की
2016. कतिपय अधिसूचनाओं का संशोधन तथा धारा 9क की धारा (7).
व्याख्यात्मक ज्ञापन।
47. अधिसूचना सं. मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को 28.03.2017 केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सा.का.नि. 1196(अ), प्रतिस्थापित/अंतर्विष्ट/विलोपित करने के लिए टैरिफ अधिनियम,
दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 776(अ), दिनांक 1985 की धारा 3(2).
29 दिसम्बर, 2006 का संशोधन तथा
व्याख्यात्मक ज्ञापन।
48. अधिसूचना सं. के अधीन मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों 28.03.2017 सीमा शुल्क
सा.का.नि. 1199(अ), को अंतर्विष्ट/प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम, 1962 की
दिनांक 31 दिसम्बर, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 411(अ), दिनांक 9 धारा 159 तथा वित्त
2016. जुलाई, 2004 का संशोधन तथा व्याख्यात्मक (संख्यांक 2)
ज्ञापन। अधिनियम, 2004 की
धारा 114 की धारा (3).

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

49. फा. सं. 11-1/2015 सहायक नर्स और मिडवाइफ पाठ्यक्रम और 28.03.2017 भारतीय नर्सिंग परिषद्
आईएनसी, दिनांक 3 विनियम। अधिनियम, 1947 की
जनवरी, 2017. धारा 16 की धारा (3).
50. फा. सं. 1-16/2015 भारतीय नर्स परिषद - पाठ्यक्रम और विनियमः -तदेव- -तदेव-
आईएनसी, दिनांक 28 सामान्य उपचर्या और प्रसूतिविद्या में डिप्लोमा :
फरवरी, 2017. संशोधन 2015.

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

51. अधिसूचना सं. फा. सं. खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक 28.03.2017 खाद्य सुरक्षा और
11/09/रेग./ और खाद्य सहयोज्य) सातवां संशोधन विनियम, मानक अधिनियम,
हार्मोनाइजेशन/2014, 2016. 2006 की धारा 93
दिनांक 8 सितम्बर, 2016.
52. अधिसूचना सं. ओषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) 28.03.2017 ओषधि और प्रसाधन
सा.का.नि. 103(अ), नियम, 2017. सामग्री अधिनियम,
दिनांक 2 फरवरी, 2017. 1940 की धारा 38.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

53. सं. 26, दिनांक 25 जून - कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों 30.03.2017 केंद्रीय विश्वविद्यालय
1 जुलाई, 2011 और विभागों की स्थापना संबंधी परिनियम 40 अधिनियम, 2009 की
(साप्ताहिक राजपत्र) तथा विलंब संबंधी विवरण। धारा 43 की धारा (2).
54. सं. पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा के -तदेव- -तदेव-
सीयूपीबी/सीसी/12/491, परिनियम 11 का संशोधन।
दिनांक 22 दिसम्बर - 28
दिसम्बर, 2012
(साप्ताहिक राजपत्र)
55. सं. 3, दिनांक 19 जनवरी कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम 11 -तदेव- -तदेव-
- 25 जनवरी, 2013 के प्रारूप संशोधन तथा विलंब संबंधी विवरण।
(साप्ताहिक राजपत्र)।

- | | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| 56. | सं. 22, दिनांक 1 जून - 7 जून, 2013 (साप्ताहिक राजपत्र)। | कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम 2(4) के प्रारूप संशोधन करना तथा विलंब संबंधी विवरण। | 30.03.2017 | केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की धारा (2). |
| 57. | सं. सीयू/कश्मीर/प्रशा./ फा. सं. 385/14/2552, दिनांक 12 जून, 2015. | कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के परिनियम 40 के प्रारूप संशोधन तथा विलंब संबंधी विवरण। | -तदेव- | -तदेव- |
| 58. | सं. सीयू/कश्मीर/प्रशा./ फा. सं. 385/14/2552, दिनांक 12 जून, 2015. | कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के परिनियम 2(4) के प्रारूप संशोधन तथा विलंब संबंधी विवरण। | -तदेव- | -तदेव- |
| 59. | सं. 52, दिनांक 24 दिसम्बर - 30 दिसम्बर, 2016 (साप्ताहिक राजपत्र)। | पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा के अध्यादेश सं. VIII-XX, XXII, XXVI, XXVII, और XX (i)-(vi). | -तदेव- | -तदेव- |

श्रम और रोजगार मंत्रालय

60.	सा.का.नि. दिनांक 30 2016.	1190(अ), दिसम्बर, स्कीम, 2016.	कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) स्कीम, 2016.	29.03.2017	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की धारा (2).
61.	सा.का.नि. दिनांक 30 2016.	1191(अ), दिसम्बर, 2016.	कर्मचारी पेंशन (सातवां संशोधन) स्कीम, 2016.	-तदेव-	-तदेव-
62.	सा.का.नि. दिनांक 30 2016.	1192(अ), दिसम्बर, स्कीम, 2016.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2016.	-तदेव-	-तदेव-
63.	सा.का.नि. दिनांक 30 2016.	4250(अ), दिसम्बर, 2016.	मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को अंतर्विष्ट करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 324(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2015 का संशोधन।	-तदेव-	-तदेव-

64. सा.का.नि. 6(अ), कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2017. 29.03.2017 कर्मचारी भविष्य निधि
दिनांक 4 जनवरी, 2017. और प्रकीर्ण उपबंध
अधिनियम, 1952 की
धारा 7 की धारा (2).
65. सा.का.नि. 67(अ), कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, -तदेव-
दिनांक 24 जनवरी, 2017. -तदेव-
66. अधिसूचना सं. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा 29.03.2017 असंगठित कर्मकार
सा.का.नि. 1142(अ) , (संशोधन) नियम, 2016. सामाजिक सुरक्षा
अधिनियम, 2008 की
धारा 15 की धारा (1).

67. अधिसूचना सं. विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्ट्रारों के रख 29.03.2017 भवन और अन्य
सा.का.नि. 154(अ), रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017. सन्निर्माण कर्मकार
दिनांक 21 फरवरी, 2017 (रोजगार का
विनियमन एवं सेवा
शर्तें) अधिनियम, 1996
की धारा 62 (3); ठेका
श्रम (विनियमन एवं
उत्सादन) अधिनियम,
1970 की धारा 35 (3);
समान पारिश्रमिक
अधिनियम, 1976 की
धारा 13 (3); अंतर-
राज्यिक प्रवासी
कर्मकार (नियोजन का

विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 35 (3); खान अधिनियम, 1952 की धारा 61क; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30क; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 (6); विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 की धारा 12 (3) और श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 20 (3)

खान मंत्रालय

68. अधिसूचना सं. खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017. 27.03.2017 खान और खनिज
सा.का.नि. 169(अ), (विकास और
दिनांक 27 फरवरी, 2017 विनियमन) अधिनियम,
1957 की धारा 28 (1).

विद्युत मंत्रालय

69. अधिसूचना सं. एल.- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग 27.03.2017 विद्युत अधिनियम,
7/1/0844 (159) (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (तृतीय 2003 की धारा 179.
केविविआ, दिनांक 10 संशोधन) विनियम, 2017.
फरवरी, 2017.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

70. अधिसूचना सं. रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) 31.03.2017 रेल अधिनियम, 1989
सा.का.नि. 1165 (अ), संशोधन नियम, 2016. की धारा 199.
दिनांक 22 दिसम्बर,
2016

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- | | | | |
|---|--|------------|---|
| 71. का.आ. 1007(अ),
दिनांक 15 अप्रैल, 2015. | बिहार राज्य के सारण जिले में माही नदी पर पहुँचमार्गो सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19 पर 182.000 कि.मी. से 183.000 कि.मी. तक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, सारण को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 |
| 72. का.आ. 1956(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में देहरा नाला के ऊपर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 86 (विस्तार) विदिशा सागर मार्ग पर 133.880 कि.मी. से 134.360 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राहतगढ़, सागर जिला (मध्य प्रदेश) को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------------|--|
| 73. | का.आ. 1957(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में बीना नदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 86 (विस्तार) विदिशा सागर मार्ग पर 127.680 कि.मी. से 128.350 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राहतगढ़, सागर जिला (मध्य प्रदेश) को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 74. | का.आ. 1958(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में बावना नदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 86 (विस्तार) विदिशा सागर मार्ग पर 114.760 कि.मी. से 115.120 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राहतगढ़, सागर जिला (मध्य प्रदेश) को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------------|--|
| 75. | का.आ. 1959(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | बिहार राज्य के अररिया जिले में एल.सी. सं. केजे/45 के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327ई के 100.000 कि.मी. पर आरओबी के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, अररिया को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 76. | का.आ. 1960(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | बिहार राज्य के किशनगंज जिले में एल.सी. सं. एसके-257'सी' के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327ई के 11.000 कि.मी. पर आरओबी के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, किशनगंज को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------------|--|
| 77. | का.आ. 1961(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | बिहार राज्य के कटिहार जिले में एल.सी. सं. केके-12 के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 81 के 48.000 कि.मी. पर आरओबी के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, कटिहार को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 78. | का.आ. 1962(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | बिहार राज्य के कटिहार जिले में एल.सी. सं. केबी/1बी के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131ए के 49.000 कि.मी. पर आरओबी के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, कटिहार को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------------|--|
| 79. | का.आ. 1963(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | बिहार राज्य के कटिहार जिले में एल.सी. सं. केके/4ए (माणियन) के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 81 के 31.000 कि.मी. पर आरओबी के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, कटिहार को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 80. | का.आ. 1964(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | बिहार राज्य के कटिहार जिले में एल.सी.सं. केटी-2, 2/बी श्रेणी के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131ए के 49.000 कि.मी. पर आरओबी के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, कटिहार को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|------------|---|----------|
| 81. | का.आ. 1966(अ),
दिनांक 3 जून, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के कड़पा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67 पर हुबली-कृष्णापट्टम सड़क के 563.200 कि.मी. (रेलवे कि.मी. 108.186) पर जम्मालाडुगु-प्रोद्यातुर रेलवे खंड के सम पार सं. 17 के स्थान पर चार लेन वाली आरओबी के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रभागीय राजस्व अधिकारी, जम्मालाडुगु को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय
अधिनियम, 1956 की
धारा 10. | राजमार्ग |
| 82. | का.आ. 2057(अ),
दिनांक 9 जून, 2016. | मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में धसान नदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 86 (विस्तार) विदिशा-सागर मार्ग पर 145.550 कि.मी. से 146.170 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राहतगढ़, सागर जिला (मध्य प्रदेश) को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- | |

- | | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| 83. | का.आ. 2127(अ),
दिनांक 16 जून, 2016. | बिहार राज्य के सारण छपरा जिले में उच्चस्तरीय पुल सुमरपट्टी आदि के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19 पर 182.000 कि.मी. और 183.000 पर भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, सारण को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 84. | का.आ. 2128(अ),
दिनांक 16 जून, 2016. | बिहार राज्य के सारण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19 पर 131.000 कि.मी. से 133.000 कि.मी. (छपरा-मांझी खंड) तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, सारण को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| 85. | का.आ. 2129(अ),
दिनांक 16 जून, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 205 पर अनंतपुरम-चेन्नई रोड (तिरुपति-कटपाडी खंड) के 281.200 कि.मी. पर सम पार सं. 102 के स्थान पर चार लेन वाली आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में संयुक्त कलेक्टर, चित्तूर को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 86. | का.आ. 2130(अ),
दिनांक 16 जून, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के विजयानगरम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 43 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-26) पर 514.725 कि.मी. से 515.708 कि.मी. तक सम पार सं. आरवी 324 के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में राजस्व प्रभागीय अधिकारी, विजयानगरम् को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| 87. | का.आ. 2383(अ),
दिनांक 13 जुलाई, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में पथपटनम ग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 326ए पर आरओबी के निर्माण के लिए 2.000 कि.मी. से 4.000 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में राजस्व प्रभाग अधिकारी, पलाकोंडा को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 88. | का.आ. 2384(अ),
दिनांक 13 जुलाई, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18 पर 3.800 कि.मी. पर सम पार सं. 23, 7.800 कि.मी. पर सम पार सं. 18, 12.600 कि.मी. पर सम पार सं. 14 और 56.800 कि.मी. पर सम पार सं. 120 के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में संयुक्त कलेक्टर, चित्तूर और उप कलेक्टर, मदनापल्ली को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| 89. | का.आ. 2385(अ),
दिनांक 13 जुलाई, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 214 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-165) पर 183.000 कि.मी. से 184.000 कि.मी. तक सम पार सं. 93 ई/एसपीएल-3 के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में संयुक्त कलेक्टर, कृष्णा को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 90. | का.आ. 2387(अ),
दिनांक 13 जुलाई, 2016. | ओडिशा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 217 पर आरओबी के निर्माण के लिए 2.407 कि.मी. से 4.590 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में भूमि अर्जन अधिकारी (एनएचएआई), गंजम, चत्रपुर को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | |
|-----|---|--|------------|--|
| 91. | का.आ. 2388(अ),
दिनांक 13 जुलाई, 2016. | ओडिशा राज्य के नुआपाडा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 217 पर 434.090 कि.मी. से 435.800 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में तहसीलदार-सह-भूमि अर्जन अधिकारी, नुआपाडा को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 92. | का.आ. 2389(अ),
दिनांक 13 जुलाई,
2016. | ओडिशा राज्य के कालाहांडी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 201 पर आरओबी के निर्माण के लिए 173.350 कि.मी. से 177.120 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में तहसीलदार, किसिंगा को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 93. | का.आ.
दिनांक
2016. | 2390(अ),
13 जुलाई, | पश्चिमी बंगाल राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 35 पर 19.900 कि.मी. से 21.425 कि.मी., 22.157 कि.मी. से 24.609 कि.मी. और 52.048 कि.मी. से 53.363 कि.मी. तक मौजूदा सम पारों के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), उत्तर 24 परगना को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय
अधिनियम,
धारा 10. | राजमार्ग
1956 की |
| 94. | का.आ.
दिनांक 13 जुलाई, 2016. | 2391(अ), | पश्चिमी बंगाल राज्य के बर्दवान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2बी पर 4.000 कि.मी. (तलित के निकट) पर मौजूदा सम पार और 41.730 कि.मी. (भेडिया के पास) पर मौजूदा संकीर्ण आरयूबी के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए) बर्दवान को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | | -तदेव- |

95. का.आ. 2392(अ), पश्चिमी बंगाल राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 (सीएच. 21.800 कि.मी. से 25.700 कि.मी. तक) के 23.700 कि.मी. (बारासात में) पर और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 35 (सीएच. 2.400 कि.मी. से सीएच. 4.150 कि.मी. तक) के 3.250 कि.मी. (कझिपरा में) पर मौजूदा सम पार के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), उत्तर 24 परगना को प्राधिकृत करना।
- 27.03.2017 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10.

- | | | | |
|---|---|------------|--|
| 96. का.आ. 2393 (अ),
दिनांक 13 जुलाई, 2016. | पश्चिमी बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 पर 615.500 कि.मी. (ओड़लाबारी), 624.400 कि.मी. (माल बाजार), 652.500 कि.मी. (लतागुरी) और 661.100 कि.मी. (मौलानी गेट) पर मौजूदा सम पार के स्थान पर आरओबी/आरयूबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, जलपाईगुड़ी को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 97. का.आ. 2645(अ),
दिनांक 8 अगस्त, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 326ए पर 36.800 कि.मी. से 38.800 कि.मी. तक आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में राजस्व मंडल अधिकारी, टेक्कालि को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

98. का.आ. 2646 (अ), आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 205 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-42) पर 126.000 कि.मी. से 200.000 कि.मी. तक और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 340 पर 56.000 कि.मी. से 59.000 कि.मी. तक आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में उप कलेक्टर, मदनापल्ली को प्राधिकृत करना। 27.03.2017 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10.
99. का.आ. 2647(अ), पश्चिमी बंगाल राज्य के बांकुरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 के 193.800 कि.मी पर सम पार सं. 39/ए/3ई, 194.850 कि.मी. पर सम पार सं. केए-61 और 258.600 कि.मी. पर सम पार सं. डीवीसी/17/एसपीएल के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), बांकुरा को प्राधिकृत करना। -तदेव- -तदेव-

100. का.आ. 2648 (अ) आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 205 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-42) पर पकाला-तिरुपति रेलवे स्टेशन के एल.सी. सं. 95 एसपीएल/3ई के स्थान पर अनंतपुरम-चेन्नई रोड के 272.600 किमी. पर आरओबी के निर्माण के संबंध में 271.000 कि.मी. से 276.000 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में संयुक्त कलेक्टर, चित्तूर को प्राधिकृत करना। 27.03.2017 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10.
101. का.आ. 2649 (अ), पश्चिमी बंगाल राज्य के बर्दवान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 पर 284.170 कि.मी. पर सम पार सं. 6/बी/टी और 303.900 कि.मी. पर मानवरहित सम पार के स्थान पर आरओबी और उसके सम्पर्क मार्गों के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), बर्दवान को प्राधिकृत करना। -तदेव- -तदेव-

- | | | | |
|---|---|------------|--|
| 102. का.आ. 2650 (अ),
दिनांक 8 अगस्त, 2016. | बिहार राज्य के वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 103 (हाजीपुर-मुशरीघरारी) के 12.000 किमी. पर मौजूदा सम पार के स्थान पर आरओबी और उसके सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए 11.000 कि.मी. से 13.000 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी, वैशाली को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 103. का.आ. 2651(अ)
दिनांक 8 अगस्त, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 214 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-165) के 230.600 कि.मी. पर सम पार सं. 52 के स्थान पर और 231.700 कि.मी. पर सम पार सं. 3 के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 214 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-165) पर 230.100 कि.मी. से 232.300 कि.मी. तक आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में संयुक्त कलेक्टर, कृष्णा को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | |
|--|---|------------|--|
| 104. का.आ. 2760 (अ),
दिनांक 23 अगस्त, 2016. | ओडिशा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 217 पर आरओबी के निर्माण के लिए 0.000 कि.मी. से 2.072 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में भूमि अर्जन अधिकारी (एनएचएआई) गंजम, चत्रपुर को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 105. का.आ. 2761 (अ),
दिनांक 23 अगस्त, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 205 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-42) पर 126.000 कि.मी. से 200.000 कि.मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 340 पर 56.000 कि.मी. से 59.000 कि.मी. तक आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में उप कलेक्टर, मदनापल्ली को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

- | | | | |
|--|---|------------|--|
| 106. का.आ. 2762 (अ),
दिनांक 23 अगस्त, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुरामू जिले में आरओबी के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 205 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-42) पर 0.000 कि.मी. से 100.000 कि.मी. तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में संयुक्त कलेक्टर-1, अनंतापुरामू को प्राधिकृत करना। | 27.03.2017 | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10. |
| 107. का.आ. 2763 (अ),
दिनांक 23 अगस्त, 2016. | आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 214 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-165) पर 225.400 कि.मी. से 228.000 कि.मी. तक सम पार सं. 55 के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में संयुक्त कलेक्टर, कृष्णा को प्राधिकृत करना। | -तदेव- | -तदेव- |

108. का.आ. 2813(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2016. पश्चिमी बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 पर 338.000 कि.मी. पर सम पार सं. 21/एसपीएल/ई के स्थान पर आरओबी और उसके सम्पर्क मार्गों का निर्माण करने के संबंध में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, बीरभूम को प्राधिकृत करना। 27.03.2017 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10.
109. का.आ. 95(अ), दिनांक 11 जनवरी, 2017. उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर 94.145 कि.मी. से 158.000 कि.मी. (रामपुर थारिवान-कोखराज खंड) तक के भू-खंड के प्रयोक्ताओं से संगृहीत की जाने वाली शुल्क की दर। -तदेव- -तदेव-

110. का.आ. 167(अ), दिनांक 17 जनवरी, 2017.	अधिसूचना की सारणी -1 में उल्लिखित बीओटी (टोल) परियोजनाओं के उपयोग के लिए उदगृहीत एवं संगृहीत किए जाने वाले शुल्क, जहां शुल्क निकटतम रुपये के स्थान पर निकटतम 5/ रुपये के गुणांक तक पूर्णांकित और उदगृहीत किया जायेगा, का संशोधन करना।	27.03.2017	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10.
111. का.आ. 168(अ), दिनांक 17 जनवरी, 2017.	राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 112 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-25) पर 254.800 कि.मी. से 328.900 कि.मी. (बागुंडी-बाड़मेर खंड) तक के भू-खंड के प्रयोक्ताओं से संगृहीत की जाने वाली शुल्क की दर।	-तदेव-	-तदेव-
112. का.आ. 169(अ), दिनांक 17 जनवरी, 2017.	राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11बी पर 83.960 कि.मी. से 184.860 कि.मी. (करौली-धौलपुर खंड) तक के भू-खंड के प्रयोक्ताओं से संगृहीत की जाने वाली शुल्क की दर।	-तदेव-	-तदेव-

113.	का.आ. 478(अ), दिनांक 16 फरवरी, 2017.	राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 458 पर 0.000 कि.मी. से 139.900 कि.मी. (निम्बीजोधा-देगना-मेरटा शहर खंड) तक के भू-खंड के प्रयोक्ताओं से संगृहीत की जाने वाली शुल्क की दर।	27.03.2017	राष्ट्रीय अधिनियम, 1956 की धारा 10.
114.	का.आ. 479(अ), दिनांक 16 फरवरी, 2017.	राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 पर 4.200 कि.मी. से 163.500 कि.मी. (बीकानेर-फलोदी खंड) तक के भू-खंड के प्रयोक्ताओं से संगृहीत की जाने वाली शुल्क की दर।	-तदेव-	-तदेव-
पोत परिवहन मंत्रालय				
115.	सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2017.	वाणिज्य पोत परिवहन (सामुद्रिक दावों के लिए दायित्व की परिसीमा) संशोधन नियम, 2017.	27.03.2017	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 (3).
116.	सा.का.नि. 232(अ), दिनांक 10 मार्च, 2017.	वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण शुल्क उद्ग्रहण) (संशोधन) नियम, 2017.	-तदेव-	-तदेव-

वस्त्र मंत्रालय

117. अधिसूचना सं. का.आ. 4157 (अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2016. मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 126 (अ), दिनांक 14 जनवरी, 2016 का संशोधन करना। 31.03.2017 पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3(2).

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव